न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

1.पहलवान खां राज्य सरकार जरिए, तहसीलदार बागोडा
2.मिठे,खां
3.आसू खां पिसरान् पारस खांजी
जाति कोटवाल मुसलमान निवासी नई
बाली का बोरीया तहसील बागोडा
जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील 14/2019

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-
1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,श्री रिजवान अली अभिभाषक अपीलान्ट
2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.09.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बागोडा द्वारा प्रकरण संख्या 414/2015 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम श्री पहलवान खां,मीठे खां,आसु खां पुत्र श्री पारस खां जाति कोटवाल निवासी नई बाली का बोरीया तहसील बागोडा में पारित आदेश दिनांक शून्य के विरूद्ध पेश की गई है।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा नई बाली के खसरा नंबर 192 में से रकबा 0.60 हैक्टर का अपीलांट को संवत् 2072 में अतिकमी मानते हुए एक रिपोर्ट पटवारी हल्का ने तहसीलदार बागोडा को अपीलांट के विरूद्ध इस आशय की पेंश है कि प्रत्येक अपीलांट ने अलग अलग एक ढाणी पक्की ईट व टिन शेड से ढकी हुई छत व पानी का टांका बताकर अतिक्रमण किया है जिस पर गैर सायल को दिनांक 05.01.2015 को वास्ते जबाब तलब करने हेतु संयुक्त नोटिस जारी किये जिसमें अपीलांट मिठे खां का नोटिस तामील हुआ तथा अन्य शेष दो अपीलांट के नोटिस अदम तामील आये।उसके बाद तीनो गैर सायलान को नोटिस जारी होकर दिनांक 14.01.2016 को आगामी तारीख पेशी के लिये नोटिय जारी हुये।आदेशिका दिनांक 14.01.2016 के अनुसार पत्रावली पेश हुई गैर सायलान अनुपस्थित एक तरफा कार्यवाही निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।इस आदेशिका के अनुसार गैर सायलान को नोटिस तामील हुआ या नही इस बारे में पत्रावली में कोई इन्द्राज नही है।अपीलाधीन निर्णय जो बिना तारीख का है उसके अनुसार अपीलांट को बेदखली व बिघोडी का 50 गुना रूपये जुर्माना तथा पश्चात्वर्ती अतिकर्मी मानते हुए अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास से दंडित किया।उसके विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में नियम विरूद्ध पेश होने के कारण प्रोपर अपील अपीलांट न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिये इस आधार पर आक्षेपित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील निम्न आधारो पर पेश की जा रही है।

अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया वह तीनो गैर सायलान/अपीलांट के विरूद्ध एक ही नोटिस जारी किया है। जबकि इस खसरे में तीन ढाणीयां अलग अलग बनी हुई है व अलग अलग परिवार सहित रहना पटवारी की रिपोर्ट से ही साबित है।ऐसी स्थिति में संयुक्त नोटिस जारी करना विधी के प्रावधानो के अनुकुल नहीं

होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपील के प्रकरण संख्या 414/2015 है तथा ये प्रकरण दिनांक 01.01.2015 को प्रथम बार दर्ज होना बताया जा रहा है लेकिन आगामी पेशी तारीख दिनांक 05.01.2016 बताई जा रही है तथा उसके आगे भी तारीख पेशी दिनांक 14.01.2016 बताई गई है।ऐसी स्थिति में प्रथम तारीख पेशी व दूसरी तारीख पेशी के बीच अन्तराल 360 दिन का है तथा निर्णय में भी तारीख अंकित नही है।जब निर्णय में ही तारीख अंकित नही की गयी हो ऐसे निर्णय को विधि विरूद्ध निर्णय मानते हुये अपीलाधीन आदेश इस बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में अपीलांट /गैर सायलान को प्रोपर तामील विधि के प्रावधानो के अनुसार नही हुई है।फिर भी अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा निर्णय करने से अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेंश करने का अवसर नही मिला जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय में पुन:नये सिरे से कार्यवाही करने के लिये ये प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाना न्यायसंगत है।अत:इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।चूकि गैर मुमकिन भूमियो का लगान निर्धारित नही होता है फिर भी 0.90 पैसा लगान अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर लगाया उसका भी कारण नही बताया गया है तथा उसका 50 गुना जुर्माना आरोपित किया है जो अत्यधीक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलांट का कब्जा पुराना है जो अधीनस्थ न्यायालय में जबाब के साथ ही सबूत पेश किये जाने का अवसर दिया जाना आश्यक था। लेकिन नही दिया गया अत: इस आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है। अपीलांट को इस भूमि से कभी भी बेदखल नही किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का बाली व आई एल.आर. हल्का धुम्बडिया के बयानो को आधार मानते हुए अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। इस संदर्भ में निवेदन है कि उक्त बयानो को क्रोस करने का अवसर अपीलांट को नही दिया गया। ऐसी स्थिति में पटवारी व आई एल आर के बयानात अपूर्ण होने से उसके आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानने में भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है।क्योकि पटवारी हल्का ने गैर सायलान को खसरा नंबर 192 का ही अतिक्रर्मी माना है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य खसरा नम्बरान 142, 145, 146, 147, 148, व 192 रकबा 4.77 हैक्टर से बेदखली करने के आदेश पारित किये। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय अपूर्ण प्रतित हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी अपीलांट का मामला प्रथम दृष्ट्या साबित हो रहा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय बिना तारीख का होने से यह नही माना जा सकता कि अपील मियाद बाहर है। जब निर्णय ही विधि के अनुरूप न होने से प्रथम दृष्टया एबनिशियो वोईड निर्णय है तो ऐसे प्रकरण में मियाद का बिन्दु भी गौण हो जाता है। राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 06.08.2018 का है जिसकी प्रतिलिपि मुझे दिनांक 06.05.2019 को मिली। अपीलांट ग्रामीण परिवेश में रहने वाला गरीब परिवार है जो कुए पर रहता है तथा अनपढ गरीब काश्तकार व्यक्ति है, काश्त के अलावा अन्य कोई आय का साधन नही है। अजमेर से नकल लेने के लिये अपीलांट आसू खां दिनांक 01.06. 2019 को नकल लेने गया तो अधिवक्ता ने बताया कि आपको जालोर में कलेक्टर साहब के वहां अपील पेश करनी पडेगी तब मै दिनांक 10.06.2019 को जालोर कचहरी में आया तो मेरे वकील साहब ने कहा कि तहसीलदार बागोडा के फैसले की नकल लानी पडेगी जो नकल मुझे दिनांक 11.06.2019 को मिली तब पूर्ण रूप से ज्ञात हुआ कि हमको बेदखली व सजा का आदेश है।जब बागोडा में नकल लेने गया तो वहा बताया कि आपको गिरफ्तार करेगे।तब तत्काल अपील तैयार करवाकर दिनांक 14.06.2019 को पेश की जा रही है। उपरोक्त कारणो से यदि अपील मियाद बाहर मानी जावे तो डिले को न्यायहित में कण्डोन किये जाने योग्य है। अत:अपीलांट अपील पेश कर निवेदन करते है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बागोडा के प्रकरण संख्या 414/2015 सरकार बनाम पहलवान खां वगैराह निर्णय **दिनांक** शून्य के जरिये बेदखली व तीन माह का सिविल कारावास का निर्णय दिया गया है।

जिसे अपास्त करने का आदेश फरमावे तथा उक्त अपील मंजूर फरमावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है। कि मौजा नई बाली के खसरा नंबर 192 रकबा 0.60 हैक्टर पर अपीलांट का अतिक्रमण मानकर पटवारी हल्का द्वारा इनके विरूद्ध रिपोर्ट पेश करने पर तहसीलदार बागोडा द्वारा निर्णय पारित कर बेदखली व जुर्माना राशि के साथ अपीलाट को तीन माह के सिविल कारावास से दंडित किये जाने का आदेश किया है।मूल आदेश पर तिथी अंकित नही है।सिविल कारावास पश्चात्वती अतिक्रमण होना पाया जाने पर ही हो सकता है।जबकि इस प्रकरण में अपीलांट को पश्चात्वती अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है।पटवारी हल्का बाली व आर.आई.धुम्बडिया के बयान लिये गये है। जिस पर अपीलांट को जिरह करने का अवसर नही दिया गया है।उक्त आराजी पर से अपीलांट को पूर्व में बेदखल किया गया हो ऐसी कोई फर्द पत्रावली पर उपलब्ध नही है।केवल मात्र पटवारी आर.आई के बयानो के आधार पर ही पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना मान कर अपीलांट को सिविल कारावास से दंडित किया है।पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक के बयानो की असल प्रति नही होकर फोटो **कॉपी** पत्रावली में लगाई गई है। तथा बयानो में खसरा नंबर 145 होना बताया है। जबकि इस प्रकरण में विवादित आराजी के खसरा नंबर 192 है।खसरा नंबर 192 की आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण अवश्य है परन्तु तहसीलदार बागोडा द्वारा सिविल कारावास की सजा का आदेश करने से पूर्व प्रक्रिया को पूर्ण नही किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दर्ज की आदेशिका पर तहसीलदार के हस्ताक्षर तथा दिनांक अंकित नही है। मूल आदेश पर तिथी अंकित नही है। तथा निर्णय 14.01.2016 की नोटशीट पर भी कटिंग है।जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित। सरकारी वकील द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलांट गैर मुमकिन नदी की भूमि पर अतिक्रमण कर ढाणीयां बनाकर रह रहे है।अपीलांट खुद अतिक्रमण होना स्वीकार कर रहे है।संवंत 2071 में उक्त आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण होने पर बेदखल किया गया था। तथा सम्बत 2072 में दूसरी बार अतिक्रमण किया जाने पर पश्चात्वती अतिक्रमी साबित होने से अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास से दंडित किया गया है।जो पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर आदेश पारित किया गया है।अत:अपील खारिज फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर भी मनन किया गया। जिसके अनुसार मौजा नई बाली के खसरा नंबर 192 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नदी पर संबंत 2072 रबी में अपीलांट पहलवानखां, मीठेखां,आसूखां पिसरान पारसखां कौम कोटवाल साकिन नई बाली द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर पटवारी हल्का बाली द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार बागोडा को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 14. 01.2016 को निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 414/2015 की समस्त आदेशिकाओ पर दिनांक अंकित है। तथा तहसीलदार बागोडा के हस्ताक्षर किये हुये है। आदेशिका दिनांक 14.01.2016 अनुसार अलग से निर्णय लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया है।शामिल किया गया निर्णय पत्रावली संख्या 414/2015 का ही अभिन्न अंग होने से निर्णय की तिथी 14.01.2016 स्वीकार किये जाने योग्य है। **यद्यपि अधिनस्थ न्यायालय को अधिक सर्तकता से कार्य करने की हिदायत भी दी जाती है ताकि लिपिकिय त्रुटिया नही रहे।** पटवारी हल्का द्वारा संम्बत 2072 में प्रस्तुत की गई अतिक्रमण रिपोर्ट के कॉलम कैफियत में नोट अंकित किया हुआ है। कि पूर्व में अतिक्रमण रहा इनके पिता पारस खां नाम का ।इसी के समर्थन में पटवारी व भू.अ.नि. के बयानो की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद अवश्य है लेकिन बयानो में खसरा नंबर 145 रकबा 0.80 हैक्टर लिखा हुआ है।जबकि इस प्रकरण में विवादित खसरा नबर 192 रकबा 0.60 हैक्टर है।इस

विवादित आराजी पर से अपीलांट को पूर्व में किस प्रकरण में पारित आदेश की पालना में बेदखल किया गया ऐसा प्रकरण के विवरण सहित फर्द बेदखली का इस प्रकरण में अभाव होना पाया जाने से सिविल कारावास की सजा के दण्ड को बहाल रखा जाने योग्य प्रतीत नही हो रहा है।

अत:अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मुकदमा संख्या 414/2015 सरकार बनाम पहलवानखां वगैराह के निर्णय दिनांक 14.01.2016 में आरोपित जुर्माना राशि व बेदखली के आदेश को यथावत रखते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार बागोडा को प्रति प्रेषित किया जाता है। कि अपीलाट को पश्चात्वर्ती अतिक्रर्मी साबित करने के संबंध में सुनवाई कर दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए विधिसंम्मत निर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 17:20:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: